Export Promotion Scheme for Pharmaceutical & Herbal Industries

निर्यात प्रोत्साहन योजना

(हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पाद)

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का विपुल भण्डार है। यहॉ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में विविधता है एवं यहॉ के वनों में हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न किस्म की जड़ी–बूटियों एवं वनोत्पाद की बहुतायत है। विभिन्न जड़ी–बूटी/ आयुर्वेदिक औषधियों एवं औषधीय पौधों एवं उनपर आधारित अन्य उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को दृष्टिगत प्रदेश सरकार उनके निर्यात संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश से हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माता/व्यवसायी/निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिये प्रोत्साहन योजना निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 उद्देश्य :– प्रदेश से हर्बल एवं आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर्बल एवं आयुर्वेद उत्पादों के निर्माता/व्यवसायी/निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु सहायता प्रदान करना।

2 योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता :–

- विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु चयनित इकाई के एक प्रतिनिधि की वापसी हवाई यात्रा टिकिट (इकानामी क्लास) के व्यय की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति (रूपये 50000 की सीमा तक) की जावेगी।
- विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु व उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु चयनित इकाई को स्टाल आरखण हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति (रूपये 50000 की सीमा तक) की जावेगी।

3 पात्रता :–

- मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच इकाईयों के प्रतिनिधियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक चयनित इकाई से केवल एक प्रतिनिधि को भाग लेने की पात्रता होगी।
- मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 में पंजीकृत प्रोपराइटर/प्राइवेट लिमिटेड/ लिमिटेड कम्पनी के संचालक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।

4 शर्ते :– केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी जिनमें मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथारिटी भाग ले रही है अथवा जो आई.टी.पी.ओ. द्वारा वार्षिक केलेण्डर में घोषित किये गये है।

विदेश मूल के निर्यातक/विदेशी पासपोर्ट धारक/प्रवासी भारतीय को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु संबंधित निर्माता/व्यवसायी/निर्यातक को अपने व्यवसाय से संबंधित पिछले 3 वर्ष का विक्रय विवरण एवं वित्तीय स्थिति चार्टड अकाउन्टेंट से प्रमाणित एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन में प्रस्तुत करना होगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु प्राप्त की जाने वाली सहायता किसी एक शासकीय /अर्द्ध शासकीय/ स्वायत्त शासी संस्था से ही प्राप्त की जा सकती है।

आयात निर्यात नीति के विधि सम्मत नियमों के अंतर्गत काली सूची में वर्णित आयातक निर्यातक को इस योजना अंतर्गत सहायता प्रदान नहीं की जावेगी।

5 आवश्यक दस्तावेज :– योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र इकाईयों को निम्नानुसार दस्तावेज मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनी से संबंधित ब्रोशर्स की छायाप्रति।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की गतिविधियों एवं प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण।

(स) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में समस्त पूर्तियों एवं अधिकृत हस्ताक्षर सहित।

(द) निर्माता/व्यवसायी/निर्यातक को संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/संस्था से इकाई के पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(इ) पासपोर्ट की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(फ) हवाई यात्रा मे मूल टिकिट/जेकेट व संबंधित हवाई यात्रा कम्पनी का पूर्ण विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा –

1	यात्री का नाम	2	टिकिट नम्बर
3	फ्लाइट नम्बर	4	भारत से प्रस्थान एवं वापसी का दिनांक
5	देश का नाम	6	यात्री की श्रेणी

(ज) स्टाल आरक्षण हेतु भुगतान की गई राशि की संबंधित मेला आयोजक संस्था द्वारा जारी की गई मूल रसीद/प्रमाण पत्र।

{कंडिका क्रमांक 5.4.12}

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20/86/2004/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 19.10.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,

मध्यप्रदेश भोपाल।

विषयः—उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना बिन्दु क्रमांक 5.4.12

————0————

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना बिन्दु क्रमांक 5.4.12 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

5.4.12 ''निर्यात प्रोत्साहन हेतु हर्बल उद्योगों के लघु उद्यमियों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये आर्थिक सहायता आगामी 3 वर्षों तक उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 50.00 लाख रूपये व्यय का प्रावधान किया जायेगा।''

2/ उक्त प्रावधानों अनुसार तैयार **निर्यात प्रोत्साहन योजना** (हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पाद) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

3/ कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित् करने का कष्ट करें।

4/ वित्त विभाग ने यू ओ क्रमांक 662/आर 1426/ब—2 दिनांक 05.09.2005 द्वारा योजना का अनुमोदन किया है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./—
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्र0 एफ 20 / 86 / 2004 / बी / ग्यारह भोपाल, दिनांक 19.10.2005

प्रतिलिपि –

1/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठाकित करने हेतु ।

2/ महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

3/ महालेखाकार,(लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

4/ प्रबंध संचालक,एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह0कार्पो0लि0भोपाल

5/ प्रबंध संचालक,एमपी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0लि0भोपाल ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

हस्ता/
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

निर्यात प्रोत्साहन योजनांतर्गत आवेदन पत्र

(हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पाद)

विदेश व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र

संदर्भ दिनांक

1	इकाई का नाम पता दूरभाष/फैक्स/ई–मेल
2	निर्माता/व्यवसायी/निर्यातक इकाई के कर्ता/संचालक/प्रतिनिधि का निम्नानुसार विवरण जिसके द्वारा मेले एवं प्रदर्शनी में भाग लिया गयाः– 1 नाम 2 पिता का नाम 3 निवास का पता 4 दूरभाष
3	प्रस्ताव के अनुमोदन का क्रमांक दिनांक
4	आयात निर्यात कूट संख्या
5	निगम में पंजीयन क्रमांक दिनांक
6	किसी एक पर सही ( ) का निशान लगायें 1 निर्माता ( ) 2 व्यवसायी ( ) 3 निर्माता सह–व्यवसायी ( ) 4 निर्यातक ( )
7	इकाई के विगत 3 वर्षों के विक्रय का विवरण वर्ष उत्पाद व्यवसाय
8	व्यापार मेले/प्रदर्शनी के संबंध में विवरण 1 नाम 2 शहर 3 देश 4 मेले की अवधि दिवस दिनांक से दिनांक तक
9	यात्रा का विवरण

	1 प्रस्थान का दिनांक 2 आगमन का दिनांक
10	क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन/निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से मेले में भाग लिया है – हॉ/नहीं
11	क्या उपरोक्त संबंधित संस्था से छूट प्राप्त की गई है – हॉ/नहीं
12	मेले/प्रदर्शनी हेतु अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/स्वशासी संस्था से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की गई थी – हॉ/नहीं
13	पूर्व में विदेश व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लिया गया है। यदि हां तो विवरण प्रस्तुत करें
14	व्ययों का विवरण 1 वापसी हवाई यात्रा टिकिट(इकानामी क्लास) 2 स्टाल आरक्षण व्यय

घोषणा – पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि उपरोक्त प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। उपरोक्त जानकारी में यदि किसी प्रकार की असत्यता/अप्रमाणिकता पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा तथा प्राप्त राशि को वापिस संस्था में जमा कराने हेतु बाध्य रहूंगा।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम –

कार्यालय सील –

कंडिका क्रं 5.4.13

विदेश में आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों के पंजीयन हेतु प्रोत्साहन योजना।

मध्यप्रदेश के वनों में प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता होने के कारण यहां औषधीय पौधों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है। इन जड़ी बूटियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा इनके निर्यात संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषिधियों/उत्पादों के निर्माता/व्यवसाईयों/ निर्यातकों को उनके उत्पादन विदेश में पंजीकृत करवाने हेतु विशेष योजना तैयार की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य प्रदेश के हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषिधियों/ उत्पादों के निर्माता व्यवसाईयों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत विशेष सहायता निम्नानुसार प्रदान की जा सकेगीः–

1. योजना के अंतर्गत सहायता :–

इस योजना के अंतर्गत उत्पादों के पंजीयन शुल्क की राशि का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति आयटम की सीमा निर्धारित है। एक निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक एक वर्ष में एक आयटम के पंजीयन हेत सहायता प्राप्त कर सकता है।

2. पंजीयन राशि का पुनर्भुगतान का आधार :–

(अ) विदेश में उत्पाद के पंजीयन हेतु संबंधित पंजीयन संस्था द्वारा उत्पाद को पंजीयन हेतु योग्य पाये जाने का प्रमाण पत्र।

(ब) विदेश में संबंधित संस्था को उत्पाद का पंजीयन कराने हेतु भुगतान किये गये शुल्क की मूल रसीद या प्रमाण पत्र।

3. योजना में भाग लेने हेतु निहित शर्तें :–

(1) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन के पंजीकृत निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(2) इस योजना के अंतर्गत निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक को पूर्ण कालावधि में एक बार सहायता प्रदान की जावेगी।

(3) आयात निर्यात नीति के अंतर्गत विधि सम्मत नियमों के तहत ही इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(4) विदेश में उत्पाद के पंजीयन हेतु प्राप्त की जाने वाली सहायता किसी एक शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी संस्था से प्राप्त की जा सकेगी।

(5) निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों का विक्रय विवरण एवं वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

(6) इस योजना के अंतर्गत मध्यम एवं छोटे निर्यातकों/व्यवसाईयों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

(7) योजना अंतर्गत पंजीयन शुल्क का भुगतान भुगतानार्थ प्रस्तुत किये गये रसीद/प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण/भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात किया जावेगा।

(8) सुविधा स्वीकृति के दिनांक से इकाई को आगामी तीन वर्ष तक चालू रखना आवश्यक है।

(9) इस योजना के अंतर्गत व्यय का पुनर्भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एक माह में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :—

(अ) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रति।

(ब) उत्पाद के पंजीकृत विदेश स्थित संस्था का सम्पूर्ण विवरण।

(स) उत्पाद से संबंधित जानकारी यथा उत्पादन क्षमता उत्पाद का उपयोग आदि।

(द) इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के आवंटन की छायाप्रति।

(य) उत्पाद से संबंधित निर्यात संवर्धन परिसर की सदस्यता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति

(र) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन की पंजीयन की छायाप्रति।

(ल) पंजीयन शुल्क की केन्द्र शासन द्वारा की गई प्रतिपूर्ति की रसीद/पावती। यदि प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है तो इसके लिए किये गये आवेदन पत्र की प्रति एवं उसकी केन्द्र शासन के कार्यालय की पावती। यदि केन्द्र शासन से प्राप्त सहायता रूपये 1.00 लाख से कम होगी तो ही इस योजना के अंतर्गत शेष राशि प्राप्त करने की आर्हता होगी।

हस्ता/—
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

(कंडिका क्रमांक 5.4.13)

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20–18/05/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 26.05.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः–उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 5.4.13

––0––

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 5.4.13 निम्नानुसार है :–

5.4.13. ''निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के हर्बल उत्पादों का निर्यात करने हेतु उस देश में लगने वाले पंजीयन शुल्क की केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। यह योजना प्रथम तीन वर्ष के लिये होगी, जिसमें अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष लगभग 25.00 लाख रुपये होगा''।

2. उक्त संबंध में शासन द्वारा तैयार योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

3. कृपया योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित् करने का कष्ट करे।

4. वित्त विभाग ने यूओ क्रमांक 334/आर–511/ब–2, दिनांक 29.04.2005 द्वारा योजना पर सहमति प्रदान की है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्रमांक एफ 20–18/05/बी/ग्यारह   भोपाल, दिनांक 26.05.2005

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, .एम.पी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि. भोपाल।

हस्ता/

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विदेश में हर्बल एवं आयुर्वेद एवं हर्बल उत्पादों के पंजीयन हेतु आवेदन – पत्र

1. इकाई का नाम ....

   पता ....

   दूरभाष ....

   ई–मेल ....

(2) आवेदनकर्ता का नाम ....

   पदनाम ....

   निवास का पता ....

   फोन नम्बर ....

(3) निगम में इकाई का पंजीयन क्रमांक....................................दिनांक...............................

(4) आयात निर्यात कोड नम्बर ....

(5) निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्यता क्रमांक..........................दिनांक...........................

(6) इकाई का प्रकार किसी एक पर (सही) का चिन्ह अंकित करें।
1. निर्माता ( )
2. व्यवसायी ( )
3. निर्माता सह व्यवसायी ( )
4. निर्यातक ( )

(7) विदेश में पंजीयन हेतु प्रस्तावित उत्पाद का नाम :
(8) उत्पाद का विगत तीन वर्षों का वार्षिक विक्रय विवरण

क्रमांक	उत्पादक का नाम	वर्ष	वार्षिक उत्पादन	विक्रय/घरेलू/निर्यात
1.				
2.				
3.				

(9) उत्पाद के पंजीयन हेतु उत्पादन का संपूर्ण विवरण/आधार
(10) उत्पाद के पंजीयन हेतु पंजीयक संस्था व देश/देशों का नाम
(11) उत्पाद के पंजीयन की अवधि
(12) उत्पाद का पूर्व से अन्य किसी देश में पंजीयन है तो उसका संपूर्ण विवरण
(13) क्या उत्पाद के पंजीयन हेतु अन्य किसी संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त की और यदि हां तो उसका विवरण
(14) उत्पाद के पंजीयन हेतु वांछित संस्था का स्वीकृति–पत्र
(15) विदेश में उत्पाद का विपणन व निर्यात संभावनाओं के संबंध में प्रमाणिक जानकारी

//घोषणा–पत्र//

मैं शपथपूर्वक घोषण करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य व प्रमाणिक है। उपरोक्त जानकारी में यदि किसी प्रकार की असत्यता/अप्रमाणिकता पाई जाती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा तथा प्राप्त सहायता राशि को वापस संस्था में जमा करने हेतु बाध्य रहूंगा।

स्थान ....
दिनांक.....................

हस्ताक्षर...............................
नाम......................................
पदनाम.................................

हस्ता/–
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

(कंडिका क्रमांक 5.4.20)

मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल,दिनांक 9 दिसंबर 2004

क. एफ.28–22–2004–ब–सोलह– यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 9–क के उपबंधों का मध्यप्रदेश राज्य में हर्बल पार्क में तथा हर्बल और आयुर्वेद आधारित उद्योगों में अवस्थित औद्योगिक स्थापनों के नियोजकों पर लागू किया जाना ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालेगा कि इस प्रकार लागू किये जाने से सम्पृक्त उद्योग पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी और यह कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है,

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 9–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9–क के उपबंध मध्यप्रदेश राज्य में हर्बल पार्क में और हर्बल तथा आयुर्वेद आधारित उद्योगों में अवस्थित औद्योगिक स्थापनों को लागू नहीं होगें.

No F 28-22-2004-B-XVI—WHEREAS, the State Government is of the opinion that the application of the provisions of section 9 A of the Industrial Disputs Act, 1947 (14 of 1947) to industrial establishments located in Herbal Parks and in the Herbal and Ayurved based Industries in the State of Madhya Pradesh shall affect employers so prejudicially that such application may cause serious repercussion on the industry concerned and the public interest so requires;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 9 B of the said Act, the State Goverment hereby directs that the provisions of section 9 A of the said Act shall not apply to industrial establishments located in the Herbal Parks and in the Herbal and Ayurved based Industries in the State of Madhya Pradesh.

क. एफ.28–22–2004–ब–सोलह– यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश राज्य में हर्बल पार्क में तथा हर्बल और आयुर्वेद आधारित कारखानों में स्थापित कारखानें नियमित रूप से कार्य के असाधारण दबाव से निपट रहे हैं तथा ऐसे कार्य के दबाव से निपटने के लिये उन्हें समर्थ बनाने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 63) के उपबंधों से यथोचित् छूट अपेक्षित है,

अतएव, कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का सं. 63) की धारा 65 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में हर्बल पार्क में समस्त कारखानों में तथा हर्बल और आयुर्वेद आधारित समस्त कारखानों में समस्त वयस्क कर्मकारों को उक्त अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) में विर्निदिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उक्त अधिनियम की धारा 51, 52, 54 तथा 56 के उपबंधों से छूट देती है,

No. F.28-22-2004-B-XVI—Whereas, the State Government is satisfied that factories established in the Herbal Parks and in the Herbal and Ayurved based factories in the State of Madhya Pradesh are regularly dealing with exceptional pressure of work and that suitable exemption from the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) is required to enable them to deal with such pressure of work;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 65 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the State Government hereby exempt all adult workers in all factories in Herbal Parks and in the Herbal and Ayurved based factories in the State of Madhya Pradesh from the provisions of sections 51, 52, 54 and 56 of the said Act, subject to the conditions specified in sub-section (3) of section 65 of the said Act.

क्र. एफ.28—22—2004—ब—सोलह— यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 (क्रमांक 26 सन 1961) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतदद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में, हर्बल पार्क में तथा हर्बल और आयुर्वेद आधारित उद्योगों में अवस्थित उपक्रमों को उपरोक्त अधिनियम के अधीन विरचित मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 के उपाबंध में यथाउपवर्णित मानक स्थायी आदेश 5 के खंड (क) तथा (ग) और मानक स्थायी आदेश 6 के खंड (ग) तथा (घ) के उपबंधों के प्रर्वतन से छूट देती है.

No. F.28-22-2004-B-XVI—Whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No.26 of 1961) the State Government hereby exempt the undertakings located in the Herbal Parks and in the Herbal and Ayurved based Industries

in the State of Madhya Pradesh from the operation of the provisions of clauses (a) and (c) of Standard standing order 5 and clauses (c) and (d) of standard standing order 6 as set out in the Annexure to the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1963, framed under the aforesaid Act.

क्र. एफ 28—22—2004—ब सोलह—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) तथा धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंध इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक अवकाश दिया जायेगा, मध्यप्रदेश राज्य में हर्बल पार्कों में तथा हर्बल और आयुर्वेद आधारित उद्योगों में अवस्थित स्थापनों को लागू नहीं होंगे.

No. F. 28-22-2004-B-XVI—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No.25 of 1958), the State Government hereby directs that the provisions of sub-section (1) of the section 9 and sub-section (1) of section 13 of the said Act shall not apply to establishments located in the Herbal Parks and in the Herbal and Ayurved based Industries in the State of Madhya Pradesh subject to the condition that every employee shall be given at least one holiday in a week.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

नीरज दुबे, उप सचिव